

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्र० १०९०/आर/१२६५/२०१८/ब-१/चार,

भोपाल, दिनांक ०१/११/२०१८

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
समस्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल ।

विषय:—वर्ष २०१९-२० के जेण्डर बजट अनुमान की तैयारी के संबंध में ।

संदर्भ:—इस विभाग का पृ०क्र० १०६२/८१५/२०११/ब-१/चार, दिनांक १९/११/२०१८.


—:—

अनुरोध है कि जेण्डर बजट की श्रेणी में सम्मिलित वर्तमान विभागीय योजनाओं के साथ-साथ नवीन प्रस्तावित योजनाओं का बजट अनुमान भी जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार तैयार करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें ।

१. वर्ष २०१८-१९ के जेण्डर बजट में सम्मिलित ऐसी योजनाएँ जो वर्ष २०१९-२० में जेण्डर बजट में सम्मिलित नहीं होनी है, उनका भी स्पष्ट उल्लेख प्रपत्र में किया जाये ।
२. श्रेणी-१ के अंतर्गत वे ही योजनाएँ सम्मिलित होगी जिनमें शत प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं/बालिकाओं के लिये हो ।
३. श्रेणी-२ के अंतर्गत वे योजनाएँ सम्मिलित होगी जिनके कुल बजट प्रावधान का कम से कम ३० प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं/बालिकाओं के लिये हो ।

कृपया उपरोक्त जानकारी पुष्टि/संशोधन सहित दिनांक ०७/१२/२०१८ तक वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का अनुरोध है ।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार.


(तेजस्वी एस.नायक)

संचालक बजट
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग


//2//

क० 109/आर/125/2018/ब-1/चार,

भोपाल, दिनांक 01/12/2018

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, अध्यक्ष राज्य स्तरीय अंतरविभागीय समिति की ओर सूचनार्थ ।
2. समस्त बजट शाखाएँ, वित्त विभाग,
3. वित्तीय सलाहकार, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय,
4. अपर संचालक, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली, मंत्रालय,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।



(रूपेश कुमार पठवार)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

